Rashtriya Sahara Page No.- 9
Date- 19.10.2012

जघन्य अपराधों की मॉनीटरिंग के लिए खास साफ्टवेयर तैयार

लखनऊ (एसएनबी)। पिछले छह महीनों में टेक्नोलॉजी की मदद से यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली में कई अहम सुधार करने वाली अफसरों की टीम ने एक और उपलब्धि हासिल की है। महकमे के अधिकारियों ने प्रदेश में होने वाले जघन्य अपराधों की मॉनीटरिंग के लिए एक खास साफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से किसी भी जिले में होने वाली हत्या, लूट, डकैती आदि घटनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर शासन स्तर पर बैठे आलाधिकारी पलक झपकते ही देख सकेंगे। साफ्टवेयर की एक खूबी यह भी है कि किसी भी घटना की जांच रिपोर्ट भी इसमें अपलोड की जा सकेगी ताकि उच्च स्तर पर इससे संबंधित कोई शिकायत आने पर विवेचक द्वारा की गयी जांच के बारे में भी तुरंत देखा जा सके।

- संगीन अपराधों के बारे में हर वक्त अपडेट रहेंगे आलाधिकारी
- जांच रिपोर्ट भी होगी अपलोड
- मुख्यमंत्री भी देख सकेंगे शिकायतों पर हुई कार्रवाई

आईजी लॉ एंड आर्डर बीपी सिंह ने बृहस्पतिवार को मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बताया कि आईजी अपराध संदीप सालुंके ने यूपी डेस्को की मदद से जघन्य अपराधों की मॉनीटरिंग के लिए नया साफ्टवेयर तैयार किया है। ओमनी नेट नामक कंपनी द्वारा निर्मित इस साफ्टवेयर का डिजायन श्री सालुंके ने तैयार किया है। इसका प्रारूप देखने के बाद डीजीपी एसी शर्मा ने श्री सालुंके को इस दिशा में आगे काम करने और इस साफ्टवेयर को इस तरह डिजायन करने के निर्देश दिये ताकि किसी भी विशेष अपराध के होने की दशा में उसकी सूचना इस साफ्टवेयर में डाली जा सके और समय-समय पर विवेचनात्मक प्रगति के बारे में भी जाना जा सके। पूरी तरह वेब इनेबल्ड इस साफ्टवेयर की मदद से इसमें की गयी इंट्री को कहीं से भी देखा जा सके ताकि विवेचना की गुणवत्ता के बारे में भी पता चल सके।

श्री सालुंके ने इस साफ्टवेयर को इस तरह डिजायन किया है कि इसमें विवेचक के पीएनओ एवं नाम की भी इंट्री की जायेगी जिससे उसकी कार्यकुशलता तथा उसके द्वारा की गयी विवेचनाओं की समीक्षा की जा सके।

यह सूचना सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही शासन स्तर पर भी अधिकारी इसकी मदद से सूचनाएं एकत्र कर सकेंगे। यह साफ्टवेयर शासन स्तर के साथ-साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में भी स्थापित किया जायेगा ताकि किसी भी मामले की समस्त जानकारी पलक झपकते ही प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।